न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/209 दायर दिनांक 26.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोविन्द रॉकावत पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.	बनाम्	1. सूगनीदेवी पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. 2. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

हस्ब धारा 88,राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—

1. श्री राजेश कुमार,राखेचा अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजभरत राठी, अधिववक्ता, प्रतिवादीगण सं0 01,।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 28.07.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की शहरद के खेत ख.न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, वादी व प्रतिवादी संख्या एक का पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी का खेत है। वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति दावा के साथ पेश है।

वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र लालदास है।वादी के अन्य दस्तावेजात राशनकार्ड पहचान—पत्र आधार कार्ड भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेजात आदि में पिता का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज है। तथा वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण—पत्र में राशनकार्ड व पहचान—पत्र आदि दस्तावेजो में भी लक्ष्मीनारायण नाम दर्ज है। जबकि वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में गलती से लिछमणराम दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हुआ है।

वादी के पिता व पति का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण है। व अन्य दस्तावेजो में भी वादी के पिता का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज है।मगर वादी के दादा लालदास का स्वर्गवास होने के बाद जब स्व. लालदास के वारिसानो के नाम फौतगी म्युटेशन भरा गया तब लक्ष्मीनारायण के स्थान पर गलती से लिछमणराम लिख दिया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त वाद में वादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या एक आपस में पुत्र व माता है।तथा प्रतिवादी संख्या एक वृद्ध है तथा अपने बन्ट का हिस्सा पर खेती बाडी वादी ही आज से 20 वर्षो से करता आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या एक अपनी मर्जी से उक्त खेत में अपना हिस्सा नही रखना चाहती हैं। अपना हिस्सा की खातेदारी मौखिक बन्ट में वादी को दे रखा है।

प्रतिवादी संख्या एक व वादी के बीच मौखिक बन्टवारा हो रखा है जिसमें वादी के बन्ट में मौजा दौलतपुरा के खेत ख. न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा सम्पुर्ण बन्ट व कब्जा काश्त में रखा गया तथा प्रतिवादी संख्या एक के बन्ट में मौजा दौलतपुरा की आबादी में स्थित जायगा बन्ट में रखी है।

मुतनाजा खसरा वादी के पैत्रिक खेत है। वादी के पिता स्व. लक्ष्मीनारायण का स्वर्गवास हो गया है।वादी अपने पिता के स्थान पर जरिये फौतगी म्युटेशन (नामान्तरणकरण) दर्ज करवा लिया। मगर मुतनाजा खसरान की खातेदारी में वादी के पिता का गलत नाम लिछमणराम दर्ज हो जाने पर राजस्व अधिकारियों स्व. लिछमणराम का फौतगी म्युटेशन (नामान्तरणकरण) दर्ज करते वक्त वादी के पिता का नाम लिछमणराम दर्ज कर दिया।व वादी का नाम गोविन्द रॉकावत के स्थान पर गोविन्दराम दर्ज कर दिया।तथा उपरोक्त खेत की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या एक का नाम गलत दर्ज हो जाने से वादी के जायज अधिकार खतरे में पड. गये है, इसलिए वादी को मुतनाजा जमीन की खातेदारी में अपने पिता का सही व वास्तविक नाम लक्ष्मीनारायण व खातेदार गोविन्दराम के स्थान पर वादी गोविन्द रॉकावत नाम दुरूस्त करवा कर खेत ख. न. 112 की सम्पुर्ण रकबा वादी के नाम घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती कराना जरूरी हो गया है। इसलिए वादी द्वारा यह घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि

कि मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की शहरद के खेत ख.न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, की सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या एक सूगनीदेवी का नाम खातेदारी से हटाया जाकर वादी का नाम गोविन्दराम के स्थान पर गोविन्द रॉकावत व वादी की जाति साद के स्थान पर स्वामी व वादी के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 02 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 209
दायर दिनांक 26.07.2017, निर्णय दिनांक 28.07.2017
गोविन्द रॉकावत बनाम सूगनीदेवी वगैरह।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, ने दिनांक 28.07.2017 को न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकारान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार,राखेचा ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री राजभरत राठी, ने की। अतः नख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं 01 डिक्री फरमाया जाता है, तथा मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की शहरद के खेत ख.न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, की सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या एक सूगनीदेवी का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।तथा वादी का नाम गोविन्दराम के स्थान पर गोविन्द रॉकावत व वादी की जाति साद के स्थान पर स्वामी व वादी के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.07.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 209/2017 दायर दिनांक 26.07.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोविन्द रॉकावत पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.	बनाम्	1. सूगनीदेवी पत्नि स्व. लक्ष्मीनारायण जाति स्वामी निवासी दौलतपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. 2. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बावत्

दावा घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती

हस्ब धारा 88,राज. काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 28.07.2017

यह मुकददमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई वादी स्वयं व प्रतिवादीगण सं0 1,स्वयं *उपस्थित की ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि*

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, कि मौजा दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की शहरद के खेत ख.न. 112 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, की सम्पुर्ण खातेदारी वादी के नाम घोषित की जाकर प्रतिवादी संख्या एक सूगनीदेवी का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।तथा वादी का नाम गोविन्दराम के स्थान पर गोविन्द रॉकावत व वादी की जाति साद के स्थान पर स्वामी व वादी के पिता का नाम लिछमणराम के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

इसी अनुरुप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत........................–.....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.07..2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner